

मुकदमों का विवरण

किशन चंद जैन बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

(2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 990) 17 अगस्त, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, सीजेआई, पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:एस के अधिदेश को लागू करने के लिए रिट याचिकाकर्ता द्वारा निर्देश मांगा गया।**4 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।**

सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005।3 और 4-सार्वजनिक प्राधिकरणों का दायित्व-जवाबदेही का सिद्धांत:**

आयोजित किया गया:शक्ति और जवाबदेही साथ-साथ चलते हैं-यह घोषणा करते हुए कि सभी नागरिकों को 'सूचना का अधिकार' होगा।**3 अधिनियम के अनुभागों में सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व के रूप में सह-सापेक्ष 'कर्तव्य' को मान्यता दी गई है।4 अधिनियम का-अधिकार का मूल यू/एस बनाया गया।3 वास्तव में वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के कर्तव्य पर निर्भर करता है-कानून का उद्देश्य और उद्देश्य केवल तभी पूरा होगा जब जवाबदेही का सिद्धांत 'अधिकार धारकों' और 'कर्तव्य धारकों' के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है-केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का एक प्रमुख स्थान और वैधानिक मान्यता है-केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को एस के जनादेश के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।**4 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अपने दिशा-निर्देशों और ज्ञापनों में भी निर्धारित अधिनियम के अनुसार-आयुक्त धाराओं की उप-धारा (5) के तहत सिफारिशें जारी करने के हकदार हैं।25 अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को। [पैरा 22,25 और 26]****

सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005 -एस. 25-'निगरानी और रिपोर्टिंग' का तंत्र-चर्चा की गई।**

198

199

किशन चंद जैन बनाम भारत और हमारा संघ।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम शौनक एच. सत्य और

अन्य (2011) 8 एस. सी. सी. 781:[2011] 14 एस. सी. आर. 328; सरकार (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ (2018) 8 एस. सी. सी. 501:[2018] 7 एस. सी. आर. 1; विजय राजमोहन बनाम सी. बी. आई. (2023) 1 एस. सी. सी. 329-पर भरोसा किया।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एक अन्य बनाम आदित्य

बंदोपाध्याय और अन्य (2011) 8 एससीसी 497:[2011] 11 एस. सी. आर. 1028; वर्होवेन,

मैरी-इमानुएल बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 6 एस. सी. सी. 456:[2016] 3 एस. सी. आर. 48; केंद्रीय लोक सूचना कार्यालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2020) 5 एससीसी 481:[2019] 16 एस. सी. आर. 424-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:लेखन याचिका (सिविल) No.990

2021.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

रूप:

किशन चंद जैन, राजेश कुमार, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., श्रीमती माधवी दीवान, ए. एस. जी., पी. वी. योगेश्वरन, ए. ए. जी., वी. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनमोल चंदन, सुश्री निधि खन्ना, रजत नायर, एस. एस. रेबेलो, पी. वी. योगेश्वरन, अरविंद कुमार शर्मा, आदर्श उपाध्याय, पल्लवी कुमारी, डॉ. मोनिका गुप्ता, अभिनव मुखर्जी, अक्षय श्रीवास्तव, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, साकेत सिंह, श्रीमती संगीता सिंह, श्रीमती निरंजना सिंह, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य, सुश्री उर्मिला कर पुरकायस्थ, अन्नंत, सुश्री आरुषि मिश्रा,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

चांग, प्रांग न्यूमाई, राजीव शंकर द्विवेदी, सुश्री मधुष्मिता बोरा, पवन किशोर सिंह, दीपांकर सिंह, सुश्री पवित्रा वी, डॉ. रवींद्र चिंगले, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भारत

बागला, सौरव सिंह, सोम राज चौधरी, सुश्री श्रुति आराधना, आनंद शंकर, समीर अभ्यंकर, सुश्री निशी संगतानी, सुश्री वाणी वंदना छेत्री, सुश्री सुगंध राठौर, विष्णु शर्मा, सुश्री अनुपमा शर्मा, वी. एन. रघुपति, मनेन्द्र पाल गुप्ता, श्रीमती अंशा वर्मा, पुखरंभ रमेश कुमार, करुण शर्मा, जतिंदर कुमार भाटिया, कृषप्रत्यर्थीगणओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका तीन पृष्ठों में चलने वाली एक जनहित याचिका के माध्यम से कई राहतों की मांग करती है, जिसका सार केवल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधिदेश को लागू करने के निर्देश के लिए है। 1 चूंकि प्रार्थना केवल धारा 4 के तहत सूचीबद्ध विभिन्न दायित्वों को लागू करने के लिए है, इसलिए तैयार संदर्भ के लिए धारा को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है:

“4. सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व -

((I) प्रत्येक लोक प्राधिकारी -

(क) अपने सभी अभिलेखों को विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित इस तरीके और प्रपत्र में बनाए रखें जो इस अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार की सुविधा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी अभिलेख जो कम्प्यूटरीकृत होने के लिए उपयुक्त हैं, एक उचित समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन, कम्प्यूटरीकृत हैं और विभिन्न प्रणालियों पर पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं ताकि ऐसे अभिलेखों तक पहुंच की सुविधा हो; (ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिनों के भीतर प्रकाशित करें -

((i) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण; (ii) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

1 इसके बाद इसे 'अधिनियम' 201 के रूप में संदर्भित किया गया।

किशन चंद जैन बनाम भारत और हमारा संघ। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।]

((ग) निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यम शामिल हैं;

((घ) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदंड;

(v) उसके द्वारा या उसके नियंत्रण में या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख; (vi) उसके द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण;

(vii) अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण।

(viii) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं;

((ix) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका;

(x) इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है;

(xi) अपनी प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर विवरणों का संकेत दिया गया है; (xii) आबंटित राशियों सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण;

(xiii) उसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण;

(xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम की गई जानकारी, जो उसके पास उपलब्ध है या उसके पास है, के संबंध में विवरण;

(xv) जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या पढ़ने के कमरे के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है; 202 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

(xvi) लोक सूचना कार्यालय के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;

(xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जाए; और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जाए;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें;

(घ) निष्कासित व्यक्तियों को इसके प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के लिए कारण प्रदान करें।

(2) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का यह निरंतर प्रयास रहेगा कि वह उप-धारा (1) के खंड (बी) की आवश्यकताओं के अनुसार कदम उठाए ताकि इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता को स्वतः ही अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके, ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का न्यूनतम सहारा मिल सके। (3) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक जानकारी का

व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार किया जाएगा जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो।

(4) सभी सामग्रियों को उस स्थानीय क्षेत्र में लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और संचार की सबसे प्रभावी विधि को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा और जानकारी आसानी से सुलभ होनी चाहिए, जहां तक संभव हो केंद्रीय सार्वजनिक सूचना कार्यालय या राज्य सार्वजनिक सूचना कार्यालय के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में मुफ्त में या माध्यम की ऐसी कीमत पर या प्रिंट लागत मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहिए जो निर्धारित किया जाए।

स्पष्टीकरण।—उप-धारा (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" का अर्थ है नोटिस बोर्डों, समाचार पत्रों, सार्वजनिक घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालयों के निरीक्षण सहित किसी अन्य माध्यम से जनता को जानकारी देना या संप्रेषित करना।"

2. धारा 4 (1) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के वैधानिक दायित्वों से संबंधित हैं: (क) सूचना की आसान पहुंच के लिए विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित सभी सार्वजनिक अभिलेखों का रखरखाव; (ख) संगठनात्मक संरचना, अधिकारियों के कार्यों और कर्तव्यों, निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, वेतन संरचना, बजट आवंटन, तथ्यों के प्रकाशन के बारे में विवरण प्रकाशित करना।

किशन चंद जैन बनाम भारत और हमारा संघ। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 204 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

नीतियों और घोषणाओं से संबंधित जिसमें अर्ध-न्यायिक निर्णयों के लिए कारण प्रदान करना शामिल है। उप-धारा (2) लोक प्राधिकारी को स्वतः संज्ञान लेते हुए उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए कदम उठाने और जनता तक आसान पहुंच के लिए उक्त जानकारी का प्रसार करने का आदेश देती है। इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में धारा 4 के दायरे और दायरे पर पहले ही विचार किया जा चुका है।²

3. हम केवल एक मामले में इस न्यायालय के अवलोकन पर ध्यान दे सकते हैं,

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम शौनक एच. सत्य और

अन्य (2011) 8 एस. सी. सी. 781:

"23. आर. टी. आई. अधिनियम जिस जानकारी पर लागू होता है, वह दो श्रेणियों में आती है, अर्थात् (i) ऐसी जानकारी जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है, जिसका खुलासा आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) के खंड (बी) और (सी) में उल्लिखित भ्रष्टाचार को रोकने या हतोत्साहित करने में मदद करता है; और (ii) आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) और (सी) के तहत नहीं

आने वाली सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई अन्य जानकारी। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आने वाली जानकारी के संबंध में, सार्वजनिक प्राधिकरणों का कर्तव्य है कि वे जनता को व्यापक रूप से स्वतः सूचना का प्रसार करें ताकि इसे जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाया जा सके। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) और (सी) के तहत गणना की गई या गणना की जाने वाली आवश्यक जानकारी के संबंध में, अनिवार्य रूप से और स्वाभाविक रूप से, आर. टी. आई. अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों को सक्रिय तरीके से कार्य करना होगा ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहे। लेकिन अन्य सूचनाओं के संबंध में जो अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) और (सी) के तहत नहीं आती हैं, सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या उन्हें प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

24. लोकतंत्र के उद्देश्यों में से एक भ्रष्टाचार को रोकने और जवाबदेही लाने के लिए सूचना की पारदर्शिता लाना है।

2 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एक अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य (2011) 8 एससीसी 497, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम शौनक एच. सत्य और अन्य (2011) 8 एससीसी 781,

वहोवेन, मैरी-इमानुएल बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 6 एस. सी. सी. 456 और केंद्रीय लोक सूचना कार्यालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (2020) 5 एस. सी. सी. 481

लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने का यह मतलब नहीं है कि सरकारों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रभावी कामकाज, सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग, संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता का संरक्षण आदि सहित अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण सार्वजनिक हितों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए या त्याग दिया जाना चाहिए। आर. टी. आई. अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक हितों के समन्वय को सुनिश्चित करना है, यानी एक ओर जवाबदेही लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि सूचना का खुलासा, वास्तविक व्यवहार में, अन्य सार्वजनिक हितों को नुकसान या प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे, जिसमें सरकारों का प्रभावी कामकाज, सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग और दूसरी ओर संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता का संरक्षण शामिल है। जहां धारा 3 और 4 पहले उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं धारा 8, 9, 10 और 11 दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं।”

4. धारा 4 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लगाए गए दायित्वों के दायरे और दायरे को नोट करने के बाद, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है, अब हम रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का उल्लेख कर सकते हैं। रिट याचिकाकर्ता एक निर्देश चाहता है:

(ए) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक प्राधिकरण सक्रिय आधार पर धारा 4 के तहत अनिवार्य स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण का पालन करते हैं; (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक प्राधिकरणों की वेबसाइट प्रकटीकरण पूर्ण हैं, ओ. एम. दिनांक 07.11.2019 के खंड संख्या 2.2 द्वारा आवश्यक रूप से आसानी से सुलभ हैं;

(ग) ओ. एम. दिनांक 07.11.2019 के खंड 4.4 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 के तहत तीसरे पक्ष द्वारा लेखापरीक्षित सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) ओ. एम. दिनांक 07.11.2019 के खंड 5.1 के अनुसार सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों के संबंध में अनुपालन के लिए जवाबदेह होने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना;

(ङ) केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोगों को ओ. एम. दिनांक 07.11.2019 के खंड 4.5 के अनुसार तीसरे पक्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करने का निर्देश देना। 205

किशन चंद जैन बनाम भारत और हमारा संघ। [पामिदिगंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 206 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का विवरण ओ. एम. दिनांक 07.11.2019 के खंड 6.1 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में प्रतिबिंबित किया गया है; और

(छ) ओ. एम. दिनांक 07.11.2019 के खंड 4 के अनुसार संबंधित सूचना आयोग को 'कार्रवाई रिपोर्ट' भेजना।

5. दूसरे शब्दों में, रिट याचिका में प्रार्थनाएं अधिनियम की धारा 4 के कार्यान्वयन के लिए हैं, जो इसके निष्पादन के निर्देशों के साथ हैं जैसा कि ओ. एम. दिनांक 07.11.2019 में दिया गया है।

6. भारत संघ ने धारा 4 के वैधानिक अधिदेश के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करते हुए 'प्रस्तुतियों पर टिप्पणी' का नेतृत्व किया है। हम आवश्यक निर्देश देने से पहले इनमें से कुछ का उल्लेख करेंगे। 7. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने धारा 4 के तहत विचार किए गए प्रकटीकरण की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए 06.05.2011 पर एक कार्य बल का गठन किया। कार्यबल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने अपने ओ. एम. दिनांक 15.04.2013 के माध्यम से कुछ दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश धारा 4 के तहत स्वतः सक्रिय प्रकटीकरण और अनुपालन और निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने सहित विभिन्न मुद्दों से संबंधित हैं।

8. दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

“(क) दिशानिर्देशों का पालन करें और सी. आई. सी. को कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें; (ख) हर साल तीसरे पक्ष के ऑडिट द्वारा सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज [आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 (1) (बी)] का ऑडिट करवाएं। सी. आई. सी. को उनकी अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशन के माध्यम से सालाना सूचित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी प्रकाशित करने की यह आवश्यकता याचिकाकर्ता की शिकायतों का पूरी तरह से ध्यान रखेगी; (ग) सी. आई. सी. को प्रत्येक मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए तीसरे पक्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए और संबंधित मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण को सलाह/सिफारिशें देनी चाहिए; (घ) सी. आई. सी. को शामिल वस्तुओं की पर्याप्तता के साथ-साथ मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण के अनुपालन के संबंध में हर साल कुछ मंत्रालयों/सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए नमूना लेखा परीक्षा करनी चाहिए।

इन दिशानिर्देशों के साथ; (ई) सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण में नोडल अधिकारी के रूप में एक संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए, और (एफ) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को संसद में प्रस्तुत अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आर. टी. आई. अधिनियम पर एक अध्याय शामिल करना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए।”

9. ओ. एम. दिनांकित 15.04.2013 के खंड 4 का उल्लेख करना प्रासंगिक है जो अनुपालन तंत्र से संबंधित है:

“ 4.0 आर. टी. आई. अधिनियम के तहत स्वतः संज्ञान (सक्रिय) प्रकटीकरण के प्रावधानों का अनुपालन।

4.1 प्रत्येक मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ये दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर पूरी तरह से लागू हो जाएं।

4.2 इन दिशानिर्देशों के अनुसार सक्रिय प्रकटीकरण के लिए बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र करने और इसे डिजिटल बनाने की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए, मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण इन दिशानिर्देशों का तेजी से पालन करने के लिए सलाहकारों को नियुक्त कर सकते हैं या इस तरह के काम को आउटसोर्स कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए उस विभाग की योजना/गैर-योजना निधि का उपयोग किया जा सकता है।

4.3 इन दिशानिर्देशों के अनुपालन पर कार्रवाई रिपोर्ट, यू. आर. एल. लिंक के साथ, 6 महीने की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद डी. ओ. पी. टी. और केंद्रीय सूचना आयोग को भेजी जानी चाहिए।

4.4 प्रत्येक मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण को हर साल तीसरे पक्ष द्वारा अपने सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज का लेखा-परीक्षण कराना चाहिए।लेखापरीक्षा में सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ पैकेज में शामिल वस्तुओं की पर्याप्तता शामिल होनी चाहिए।लेखापरीक्षा को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या कोई अन्य प्रकार की जानकारी है जिसका सक्रिय रूप से खुलासा किया जा सकता है।इस तरह का लेखा-परीक्षण सालाना किया जाना चाहिए और केंद्रीय सूचना आयोग को उनकी अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशन के माध्यम से सालाना सूचित किया जाना चाहिए।सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट पर तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों के नामों का सक्रिय रूप से खुलासा करना चाहिए।207 पूरा करने के लिए

किशन चंद जैन बनाम भारत और हमारा संघ। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 208

बाहरी सलाहकारों के माध्यम से भी तीसरे पक्ष की लेखा परीक्षा, मंत्रालयों/सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी योजना/गैर-योजना निधि का उपयोग करना चाहिए।4.5 केंद्रीय सूचना आयोग को प्रत्येक मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए तीसरे पक्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करनी चाहिए और संबंधित मंत्रालयों/सार्वजनिक प्राधिकरणों को सलाह/सिफारिशें देनी चाहिए।

4.6 केंद्रीय सूचना आयोग को शामिल वस्तुओं की पर्याप्तता के साथ-साथ इन दिशानिर्देशों के साथ मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण के अनुपालन के संबंध में हर साल कुछ मंत्रालयों/सार्वजनिक प्राधिकरणों का नमूना ऑडिट करना चाहिए।

4.7 सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन, तीसरे पक्ष द्वारा इसकी लेखा परीक्षा और केंद्रीय सूचना आयोग को इसके संचार को आर. एफ. डी. लक्ष्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।"10. 'प्रस्तुतियों पर टिप्पणी' से पता चलता है कि विभाग ने धारा 4 के आदेश का पालन करना जारी रखा और 10.12.2013,22.09.2014 और 09.07.2015 पर जारी O. M. जैसे आगे O. M. जारी करके दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की मांग की।

11. आगे बढ़ते हुए, जानकारी को अधिक सुलभ बनाने के अपने प्रयास में, विभाग ने दो और समितियों का गठन किया जिन्होंने धारा 4 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें कीं।श्री ए. एन. तिवारी, सी. आई. सी. (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पहली समिति ने (ए) सूचना तक ऑनलाइन पहुंच को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने और (बी) शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना के संबंध में सिफारिशें कीं।इन सिफारिशों को विभाग द्वारा ओ. एम. दिनांक 29.06.2015 के माध्यम से स्वीकार किया गया था।

12. पूर्व संयुक्त सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली दूसरी समिति ने भी कुछ सिफारिशें कीं और उनमें से कुछ को ओ. एम. दिनांक 30.06.2016 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया।स्वीकार की गई कुछ सिफारिशें (ए) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों के साथ व्यवस्थित और नियमित बातचीत के लिए सलाहकार समितियों की

स्थापना और सार्वजनिक प्राधिकरणों को उन सूचनाओं पर सलाह देने से संबंधित हैं जिन्हें स्वतः अपलोड किया जा सकता है, (बी) उपलब्ध जानकारी के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए सूचना और सुविधा केंद्रों की स्थापना, (सी) सार्वजनिक प्राधिकरणों की वेबसाइट पर जानकारी का खोज योग्य और पुनर्प्राप्त करने योग्य डेटाबेस प्रदान करना; और महत्वपूर्ण रूप से (डी)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पारदर्शिता लेखा परीक्षा करना।

13. नोट में यह भी संकेत दिया गया है कि ओ. एम. दिनांक 15.10.2019 द्वारा, विभाग ने सार्वजनिक अधिकारियों को किसी भी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, यानी ऐसे मामलों में जहां मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण में कोई संस्थान मौजूद नहीं है, द्वारा किए गए पारदर्शिता ऑडिट देने की अनुमति देकर ऑडिट मानदंडों में ढील दी है।

14. चूंकि कई केंद्रीय प्राधिकरणों को (ए) अलग-अलग लेखापरीक्षा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ली जाने वाली लेखापरीक्षा लागत में पर्याप्त अंतर, (बी) मानव शक्ति/पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति की कमी, और (सी) अपनी निर्धारित प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ प्रशिक्षण संस्थान की पूर्व-भागीदारी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए ओ. एम. दिनांक 20.09.2022 के माध्यम से और छूट दी गई, जिसके अनुसार केंद्र या राज्य सरकारों के तहत मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी भी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान को पारदर्शिता लेखा परीक्षा का कार्य देने की अनुमति दी गई थी।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई प्रशिक्षण संस्थान अपने आप में एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, तो वह सरकारी प्रशिक्षण संस्थान (ओ. एम. 07.09.2021) द्वारा संचालित अपनी लेखा परीक्षा दे सकता है। नोट में यह भी कहा गया है कि विभाग ने ओ. एम. जारी किया है। सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक प्राधिकरणों को (ए) तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षा के लिए प्रशिक्षण संस्थान को नामित करने का निर्देश देना; (बी) ओ. एम. दिनांक 07.11.2019 के माध्यम से जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार सी. आई. सी. को अन्य आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना; (सी) पारदर्शिता लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए सी. आई. सी. द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करना; और (डी) ओ. एम. दिनांक 13.04.2013 और 07.11.2019 के माध्यम से जारी किए गए पहले के दिशानिर्देशों का पालन करना।

16. <ID2 पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 15.04.2013 दिशानिर्देशों को दोहराते हुए एक ओ. एम. जारी किया। खंड 4.4 को निम्नलिखित शब्दों में संशोधित किया गया था:

“ 4.4 प्रत्येक मंत्रालय/सार्वजनिक प्राधिकरण को हर साल तीसरे पक्ष द्वारा अपने सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज का लेखा-परीक्षण कराना चाहिए।लेखापरीक्षा में सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ पैकेज में शामिल वस्तुओं की पर्याप्तता शामिल होनी चाहिए।लेखापरीक्षा को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या कोई अन्य प्रकार की जानकारी है जिसका सक्रिय रूप से खुलासा किया जा सकता है।इस तरह का लेखा-परीक्षण सालाना किया जाना चाहिए और केंद्रीय सूचना आयोग को उनकी अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशन के माध्यम से सालाना सूचित किया जाना चाहिए।आगे 209 कार्य करने का कार्य

किशन चंद जैन बनाम भारत और हमारा संघ। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 210

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को पारदर्शिता लेखा परीक्षा दी जा सकती है।“हालांकि ऐसे मामलों में जहां मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक प्राधिकरणों के तहत कोई प्रशिक्षण संस्थान मौजूद नहीं है, पारदर्शिता ऑडिट करने का कार्य किसी भी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान को दिया जा सकता है।” सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट पर तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों के नामों का सक्रिय रूप से खुलासा करना चाहिए।बाहरी सलाहकारों के माध्यम से भी तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा करने के लिए।मंत्रालयों/सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपनी योजना/गैर-योजना निधि का उपयोग करना चाहिए।”

17. अनुपालन की 'वर्तमान स्थिति' को निकालना महत्वपूर्ण है जैसा कि भारत संघ की ओर से दिए गए नोट में दर्शाया गया है।एफ्री दावित का पैरा 17 से 20 इस प्रकार है:

“17. सी. आई. सी. के साथ पंजीकृत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को आर. टी. आई. अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में अपने प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए चार तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

18. कुल 2278 सार्वजनिक प्राधिकरणों में से 2173 यानी 95 प्रतिशत सार्वजनिक प्राधिकरणों ने रिपोर्टिंग वर्ष में आयोग को अपने सभी चार तिमाही रिटर्न जमा कर दिए हैं, यानी 2021-22 (CIC की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22)।

19. सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण और प्रकटीकरण की पारदर्शिता लेखा परीक्षा करना दो अलग-अलग प्रावधान हैं।जबकि पहला आर. टी. आई. अधिनियम में निर्धारित एक अनिवार्य प्रावधान है, बाद वाले को ओ. एम. तिथि 15.04.2013 के माध्यम से पेश किया गया था और यह निर्देशिका है।

20. इस प्रकार, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि जिन सार्वजनिक प्राधिकरणों ने किसी तीसरे पक्ष द्वारा अपने सक्रिय प्रकटीकरण पैकेजों का ऑडिट प्राप्त नहीं किया है, उन्हें आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

18. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से लिखित निवेदन में खुलासा किया गया है कि पिछले चार वर्षों में केवल 33 प्रतिशत सार्वजनिक प्राधिकरणों ने पारदर्शिता ऑडिट किया है। यह कहा गया है कि तीसरे पक्ष के लेखापरीक्षा के खराब कार्यान्वयन पर विभाग द्वारा अपने ओ.एम. दिनांक 14.09.2022 में भी प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। यह भी कहा जाता है कि तीसरे पक्ष के ऑडिट के खराब कार्यान्वयन के अलावा, 33 प्रतिशत सार्वजनिक प्राधिकरणों, जिनके पारदर्शिता ऑडिट किए गए थे, ने खराब प्रदर्शन किया, स्पष्ट रूप से सबूत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

कि सक्रिय प्रकटीकरण की गुणवत्ता और मात्रा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार नहीं थी।

19. हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी से एक बात स्पष्ट है। इस प्रणाली पर संबंधित प्राधिकारी को पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके बाद सख्त और निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। इस संदर्भ में केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों के कामकाज और कर्तव्यों का अत्यधिक महत्व है।

20. अधिनियम की धारा 25 में वैधानिक रूप से शामिल 'निगरानी और रिपोर्टिंग' तंत्र पर ध्यान देना आवश्यक है। यह वैधानिक प्राधिकरणों की 'जवाबदेही' की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

“25. निगरानी और रिपोर्टिंग।

(1) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वर्ष के अंत के बाद जितनी जल्दी हो सके, उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसकी एक प्रति उपयुक्त सरकार को भेजेगा। (2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसी जानकारी एकत्र करेगा और प्रदान करेगा, जैसा भी मामला हो। जैसा कि इस धारा के तहत रिपोर्ट तैयार करने और इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस जानकारी को प्रस्तुत करने और रिकॉर्ड रखने से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करने के लिए आवश्यक है। (3) प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के संबंध में उल्लेख किया जाएगा जिससे रिपोर्ट संबंधित है—(ए) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को किए गए अनुरोधों की संख्या; (बी) उन निर्णयों की संख्या जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के प्रावधान जिनके तहत ये निर्णय लिए गए थे और कितनी बार ऐसे प्रावधान लागू किए गए थे; (सी) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के परिणाम; (डी) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी भी अधिकारी के खिलाफ की

गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण; (ई) इस अधिनियम के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए शुल्क की राशि; (जे) कोई तथ्य।

किशन चंद जैन बनाम भारत और हमारा संघ। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 212

इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य कानून या सूचना प्राप्त करने के अधिकार को लागू करने के लिए प्रासंगिक किसी अन्य मामले में विकास, सुधार, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशेष सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में सिफारिशें।(4) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद जितनी जल्दी हो सके, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या, यथास्थिति, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां दो सदन हैं और जहां राज्य विधानमंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखेगी।(5) यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के प्रयोग के संबंध में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण का आचरण इस अधिनियम के प्रावधानों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो वह प्राधिकरण को एक सिफारिश दे सकता है जिसमें उन कदमों को निर्दिष्ट किया जाए जो ऐसी अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए उसकी राय में उठाए जाने चाहिए।”

21. धारा 25 संविधान के अनुच्छेद 75 (3) या 164 (2) के तहत विधानमंडल के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी के साथ एक नागरिक के 'सूचना के अधिकार' को भव्य रूप से एकीकृत करती है। श्रृंखला की शुरुआत में नागरिक सूचना के अपने अधिकार का प्रयोग करता है। जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य सार्वजनिक प्राधिकरण विभाग के प्रति जवाबदेह है। विभाग, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में, सी. आई. सी. या एस. आई. सी. को ऐसी जानकारी एकत्र करेगा और प्रदान करेगा (धारा 25 (2) देखें)। सी. आई. सी. या एस. आई. सी. तब वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक 'रिपोर्ट' तैयार करेगा और उपयुक्त सरकार को एक प्रति भेजेगा (धारा 25 (1) देखें)। सी. आई. सी. या एस. आई. सी. द्वारा तैयार की गई 'रिपोर्ट' में धारा 25 (3) के खंड (ए) से (जी) में निर्दिष्ट सभी विवरण शामिल करना अनिवार्य है। केंद्र या राज्य सरकार सी. आई. सी./एस. आई. सी. की रिपोर्ट की एक प्रति संसद/विधान सभा (धारा 25 (4)) के समक्ष रखेगी। यह तब सदन के लिए है, जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके द्वारा मंत्रिपरिषद (सरकार) में व्यक्त विश्वास को लागू किया जाए। इस प्रकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र का चक्र यह सुनिश्चित करके संसद की सर्वोच्चता को नागरिक के अधिकार से जोड़ता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

कि राज्य अपने दायित्वों का पालन करे। यह उत्तरदायित्व का प्राथमिक सिद्धांत है।

22. सत्ता और जवाबदेही साथ-साथ चलते हैं। यह घोषणा करते हुए कि सभी नागरिकों को अधिनियम की धारा 3 के तहत 'सूचना का अधिकार' होगा, सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व के रूप में सह-संबंधित 'कर्तव्य' को धारा 4 में मान्यता दी गई है। वास्तव में धारा 3 के तहत बनाए गए अधिकार का मूल वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के कर्तव्य पर निर्भर करता है। सार्वजनिक जवाबदेही एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो 'कर्तव्य धारकों' और 'अधिकार धारकों' के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। प्रशासनिक कानून के एक उपाय के रूप में जवाबदेही के महत्व को स्वीकार करते हुए, विजय राजमोहन बनाम सी. बी. आई., 3 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

“34. जवाबदेही अपने आप में प्रशासनिक कानून का एक अनिवार्य सिद्धांत है। प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा अधिकारी या प्रभारी प्राधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करके प्रभावी और सार्थक होगी।

35. जवाबदेही के सिद्धांत को मानवाधिकार ढांचे की आधारशिला माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो प्राधिकरण में "कर्तव्य धारकों" और उनके कार्यों से प्रभावित "अधिकार धारकों" के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। संस्थानों की जवाबदेही भी 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए विकास लक्ष्यों में से एक है और इसे नागरिक चार्टर आंदोलन के छह सिद्धांतों में से एक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

36. जवाबदेही के तीन आवश्यक घटक आयाम हैं: (i) उत्तरदायित्व, (ii) उत्तरदायित्व और (iii) प्रवर्तनीयता। उत्तरदायित्व के लिए प्राधिकरण और अधिकारियों के साथ व्यक्तियों के कर्तव्यों और प्रदर्शन दायित्वों की पहचान की आवश्यकता होती है। उत्तरदेयता के लिए तर्कपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है ताकि जनता सहित अपने निर्णयों से प्रभावित लोग इसके बारे में जागरूक हों। प्रवर्तनीयता के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही की कमी के खिलाफ उचित सुधारात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। जवाबदेही का एक सुधारात्मक कार्य है, जिससे व्यक्तिगत या सामूहिक शिकायतों का समाधान करना संभव हो जाता है। यह कर्तव्य की अवहेलना के लिए अधिकारियों या संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। इसका एक निवारक कार्य भी है जो उस प्रक्रिया या नीति की पहचान करने में मदद करता है जो गैर-कार्यात्मक हो गई है और इसमें सुधार करने में मदद करता है।”

3 (2023) 1 एस. सी. सी. 323

किशन चंद जैन बनाम भारत और हमारा संघ। [पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे.] 214

23. सरकार (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ 4 में

सामूहिक उत्तरदायित्व और सरकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के बीच प्रत्यक्ष संबंध, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:-

“325. सामूहिक उत्तरदायित्व और सरकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत के बीच सीधा संबंध है। द ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया में इस संबंध की अवधारणा दी गई है:

उत्तरदायित्व को Government.It की प्रक्रियाओं के बजाय परिणामों के संदर्भ में अवहेलना की जा सकती है, जिसमें नागरिकों की जरूरतों और क्षमताओं को बदलने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया की कसौटी भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, जवाबदेही का अर्थ है कि वास्तविक नीतियां और उनका कार्यान्वयन किस हद तक एक मानक आदर्श के साथ मेल खाता है, इस संदर्भ में कि उन्हें क्या होना चाहिए। इस व्यापक अर्थ में, जवाबदेही परिणाम-उन्मुख शब्दों में शासन की प्रकृति का मूल्यांकन करने के बराबर है।”

24. निगरानी और रिपोर्टिंग के दायित्व के अलावा, केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों को उन कदमों की सिफारिश करने की शक्ति भी दी गई है जो सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिनियम को लागू करने में लेने चाहिए। धारा 25 की उप-धारा (5) निम्नलिखित शब्दों में है:

“(5) यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के प्रयोग के संबंध में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण का व्यवहार इस अधिनियम के प्रावधानों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो वह प्राधिकरण को एक सिफारिश दे सकता है जिसमें उन कदमों को निर्दिष्ट किया जाए जो ऐसी अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए उसकी राय में उठाए जाने चाहिए।”

25. धारा 4 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्वों के संदर्भ में धारा 3 के तहत कानून द्वारा साबित सूचना के अधिकार की जांच करने के बाद, हमारी राय है कि कानून का उद्देश्य और उद्देश्य केवल तभी पूरा होगा जब जवाबदेही का सिद्धांत 'अधिकार धारकों' और 'कर्तव्य धारकों' के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों का एक प्रमुख स्थान है, जिन्हें अधिनियम के अध्याय III और IV और उनकी शक्तियों के तहत वैधानिक मान्यता प्राप्त है

4 (2018) 8 एस. सी. सी. 501

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

और अधिनियम की धारा 18 में विस्तार से वर्णित सभी कार्य। हमने केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों को प्रदत्त 'निगरानी और रिपोर्टिंग' की विशेष शक्ति का भी उल्लेख किया है जिसका उपयोग अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, अर्थात् 'प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना'।²⁶.

ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम निर्देश देते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग अधिनियम की धारा 4 के जनादेश के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी करेंगे जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अपने दिशानिर्देशों और ज्ञापनों में भी निर्धारित किया गया है। इन निर्देशों में विभाग द्वारा जारी ओ. एम. दिनांक 07.11.2019 के तहत निर्देश भी शामिल होंगे। इस उद्देश्य के लिए, आयुक्तों को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को धारा 25 की उप-धारा (5) के तहत सिफारिशें जारी करने का भी अधिकार होगा।

27. 2021 की रिट याचिका (सी) संख्या 990 का निपटारा केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को अधिनियम की धारा 4 के अधिदेश का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ किया जाता है, जैसा कि ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए किया गया है।

28. लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

निर्देश जारी किए गए।

अंकित ज्ञान

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)